तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
29/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उप०। पत्रावली वास्ते कुर्रेजात दिनांक 16/12/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई
16/12/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। पत्रावली वास्ते कुर्रेजात दिनांक 08/01/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई
	08/01/25 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य से व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी दी गई। अतः आदेश की पालना में दिनांक 20/01/25 को पेश हो। हस्ताक्षर
20/01/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उप०। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बांदीकुई के पत्र क्रमांक 8732 दिनांक 26/12/24 द्वारा कुर्रेजात प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। वकील वादीगण द्वारा कुर्रेजात का अवलोकन किया गया। वास्ते बहस/आदेश पत्रावली दिनांक 22/01/25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)
22/01/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उप०। वादीगण वकील द्वारा कुर्रेजात पर बहस की गयी। हमने वादीगण वकील बहस सुनी। बहस वादीगण वकील पर मनन किया। एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं प्राप्त कुर्रेजात का अवलोकन किया गया। प्राप्त कुर्रेजात बाबत राजस्व रिकार्ड के विधिवत तैयार किये जाना उचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त कुर्रेजात स्वीकार किये जाकर वादीगण वाद अंतिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी होकर प्रकरण कैफल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई (दौसा)

PH:-01420-228487 E-Mail:-sdo-ban-dau-rj@nic.in

प्रकरण संख्या :–58 / 2024
प्रकरण दायर दिनांकः– 30.04.2024
प्रकरण निर्णय दिनांकः– 22.01.2025

उनवान

1. रामदेवा पुत्र सुखराम
2. मांगीलाल पुत्र सुखराम
   समस्त जाति रैगर निवासी पूरणवास की ढाणी भॉवता तहसील बांदीकुई जिला दौसा, राजस्थान

बनाम

1. दौलतराम पुत्र मूलचंद
2. विश्राम पुत्र मूलचंद
   समस्त जातियान मीना निवासी भॉवता तहसील बांदीकुई जिला दौसा, राजस्थान
3. बैंक ऑफ बडौदा शाखा गुढलिया जरिये शाखा प्रबंधक तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
4. राजस्थान सरकार (लैण्ड होल्डर) जरिये तहसीलदार बांदीकुई तहसील बांदीकुई

दावा तकास्मा

मुकदमा नं.–58 / 2024 सन्–2024

निर्णय दिनांक 22.01.2025

वादी द्वारा वाद पत्र दावा तकास्मा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि भूमि खाता संख्या नया 232 पुराना 230 खसरा नं. 898, 900 लगायत 902 कुल किता 04 कुल रकबा 2.30 हैक्टेयर वाके ग्राम भॉवता तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित चली आ रही है। उपरोक्त वर्णित भूमि मुतदाविया वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 02 की सहखातेदारी की भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 02 का हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी चला आ रहा है इस अनुसार वादीगण का प्रत्येक का हिस्सा 1/4, 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या 01 का हिस्सा 1/4 तथा प्रतिवादीग संख्या 02 का हिस्सा 1/4 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी चला आ रहा है। भूमि मुतदाविया को वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 02 ने अपने बुजुर्गान के समय से अपने–अपने हिस्से अनुसार बाहमी रूप बंटवारा कर अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर बिना किसी विध्न व विरोध के उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। तथा वादीगण का बाहमी बंटवारे अनुसार पूर्वी हिस्सा है तथा वादीगण ने अपने हिस्से की भूमि

में अपने अलग–अलग पुख्ता मकानात बना रखे है तथा वादीगण के हिस्से कि भूमि में वादीगण का एक कुआ बना हुआ है तथा वादीगण की बोरिंग लगी हुई है तथा विद्युत विभाग से विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है और अपने हिस्से पर काबिज होकर बिना किसी विध्न व विरोध के काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। भूमि मुतदाविया का अभी तक विधिवत तकास्मा नहीं हुआ है जिस कारण पक्षकारान के मध्य भूमि के कम ज्यादा रकबे को लेकर विवाद उत्पन्न होता रहता है व भूमि मुतदाविया में बुवाई और कटाई के समय आपसी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिससे पक्षकारान के मध्य संगीन झगडा फिसाद होने की संभावना बनी रहती है तथा पक्षकारान को सरकार द्वारा दी जाने वाली कृषक सहायता को प्राप्त करने में भी भारी असुविधा का सामना करना पडता है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य भूमि के कम ज्यादा रकबे को लेकर संगीन झगडा फिसाद होने की संभावना बनी रहती है ऐसी सूरत में वादी भूमि मुतदाविया का रास्तो व कब्जे एवं रिहायश को ध्यान में रखते हुये विधिवत सरस नरस अनुसार तकास्मा करवाकर अपना अलग पर्चा पासबुक जारी करवाकर लगान का विभाजन करवाने के विधिक रूप से अधिकारी है। भूमि मुतदाविया का वादीगण्उ अपने हिस्से की भूमि का तन्हा मालिक है। तथा अपने हिस्से की भूमि का बतौर मालिक उपयोग उपभोग करने एवं लाभान्वित होने का विधिक अधिकार वादीगण को प्राप्त है। प्रतिवादीगण अथवा किसी दीगर सख्स को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है कि भूमि मुतदाविया में वादीगण के हिस्से उपयोग उपभोग में किसी प्रकार से मजाहमत पैदा करे भूमि मुतदाविया का विधिवत तकास्मा नहीं होने के कारण वादीगण अपने हिस्से की भूमि पर लागत लगाकर और अधिक उपजाउ नहीं बना पा रहे है व अपने हिस्से की भूमि पर आवारा जानवरों से बचाव के लिए बाउण्ड्रीवाल का निर्माण नहीं कर पा रहे है तथा भूमि का विधिवत तकास्मा नहीं होने व सीमा निर्धारित नहीं होने के कारण वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य संगीन झगडा फसाद होने की संभावना बनी रहती है यदि भूमि मुतदाविया का विधिवत तकास्मा नहीं किया जाता है तो वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं होगी तथा वादीगण को गैर जरूरी किस्म के मुकदमात प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 02 के विरूद्ध प्रस्तुत करने पडेंगे जिससे वादीगण का समय एवं श्रम जाया होकर आर्थिक क्षति होगी। गत दिनांक 25.04.2024 को वादीगण ने प्रतिवादीगण से भूमि मुतदाविया का विधिवत तकास्मा करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण भूमि मुतदाविया का विधिवत तकास्मा करवाने का इंकार हो गये तथा पूर्व में भी वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से कई बार तहसील में चलकर विधिवत तकास्मा करवाने का निवेदन किया लेकिन प्रतिवादीगण ने इंकार कर दिया ऐसी सूरत में सिवाय दावा हाजा तकास्मा प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई चारा नहीं होने से वादपत्र तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा श्रीमान की सेवा में प्रस्तुत करना लाजमी आया है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर निम्नांकित भांतिसे डिकी फरमाया जावे कि उक्त वर्णित भूमि खाता संख्या नया 232 पुराना 230 खसरा नं. 898, 900 लगायत 902 कुल किता 04 कुल रकबा 2.30 हैक्टेयर वाके ग्राम भांवता तहसील बांदीकुई जिला दौसा का राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार यथा संभव कब्जा सरस–नरस इकजाई व रास्तो को ध्यान में रखते हुये तकसीम की जाकर वादीगण के प्रत्येक के हिस्से 1/4,

ανμε

1/4 का अलग खाता कायम किया जावें व अलग पर्चा, पासबुक जारी की जावे व लगान का विभाजन किया जावें।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जर्ये रजिस्टर्ड एडी नोटिस विधिवत की गई। प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 बावजूद रजिस्टर्ड एडी तामील उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। वादीगण वकील द्वारा वाद को प्राथमिक डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किये जाने पर वादी वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बॉदीकुई को कुरैजात प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार बॉदीकुई के पत्र कमांकः 8732 दिनांकः 26.12.2024 द्वारा कुरैजात प्रस्ताव प्राप्त होकर शामिल पत्रावली किये गये।

तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त कुरैजात प्रस्ताव का वादीगण वकील द्वारा अवलोकन किया गया। एवं प्राप्त कुरैजात अनुसार वाद को अंतिम डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया तथा सहमति प्रकट की। हमने प्राप्त कुरैजात का अवलोकन किया। प्राप्त कुरैजात तहसीलदार (भू.अ.) बॉदीकुई द्वारा पक्षकारों को विधिवत सूचित कर मौके पर बरूये राजस्व रिकार्ड के बनाया जाना प्रकट होने से प्राप्त कुरैजात स्वीकार किये जाकर वादीगण वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण वाद दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर प्राप्त कुरैजात अनुसार निम्न अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है–

वर्तमान जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टियाँ	प्रस्तावित प्रविष्टिया कुरैजात अनुसार				
नाम खातेदार	क्रम सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
दौलतराम पुत्र मूलचंद हिस्सा 1/4 जाति मीना सा.देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/4 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बडौदा शाखा गुढलिया मांगीलाल पुत्र सुखराम हिस्सा 1/4 जाति रैगड सा. रामपुरा खातेदार राहिन हिस्सा 1/4 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बडौदा शाखा गुढलिया रामदेवा पुत्र सुखराम हिस्सा 1/4 जाति रेगड सा. रामपुरा खातेदार	1	मांगीलाल पुत्र सुखराम हिस्सा 1/4 जाति रेगड सा. रामपुरा खातेदार राहिन हि. 1/4(पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बडौदा शाखा गुढलिया रामदेवा पुत्र सुखराम हिस्सा 1/4 जाति रेगड सा. रामपुरा खातेदार राहिन हि. 1/4 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बडौदा शाखा गुढलियां	900/2 901 902	0.73 0.22 0.20	बा.1 बा.1 बा.1
			कुल किता 03	1.15	बारानी
		दौलतराम पुत्र मूलचंद हिस्सा 1/4 जाति मीना सा.देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/4 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बडौदा शाखा गुढलिया विश्राम पुत्र	**898** **900/1**	**1.01** **0.14**	**बा.1** **बा.1**

४५६

राहिन हिस्सा 1/4 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा गुढलिया विश्राम पुत्र मूलचंद हिस्सा 1/4 जाति मीना सा.देह खातेदार		मूलचंद हिस्सा 1/4 जाति मीना सा.देह खातेदार			

कुरेजात, निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। अंतिम डिक्री जारी हो। तहसीलदार बॉदीकुई तदानुसार राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद करना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रतिवादीगण को जयें स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत न करें। पालना हेतु तहसीलदार बॉदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक: 22.01.2025 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

निर्णय सुनाया गया।

22/1/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बॉदीकुई